बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 280

राहत का सिलसिला

केंद्र और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को करदाताओं के लिए एक बार फिर नई राहतों की घोषणा की। इन घोषणाओं का सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को हुआ। जीएसटी परिषद ने इनके लिए जीएसटी रियायत की सीमा दोगुनी कर दी। अब 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों को जीएसटी चुकाने से राहत होगी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह रियायत सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। परिषद ने कंपोजिशन योजना में भी अहम बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत कारोबारियों को रियायती दर पर कर चुकाने की छूट होती है और जीएसटी का अनुपालन आसान होता है। परिषद ने यह तय किया है कि कंपोजिशन योजना की सीमा अब एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा परिषद ने सेवा क्षेत्र के लिए भी कंपोजिशन योजना पेश की है। अब तक छोटे सेवा प्रदाता कंपोजिशन योजना का लाभ नहीं ले पाते थे। अब 50 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारी कंपोजिशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं और 6 फीसदी की कंपोजिशन दर चुका सकते हैं। यह दर 50 लाख की सीमा वाले कारोबारियों द्वारा चुकाए जाने वाली औसत कर दर से कम है। परिषद ने केरल को अधिकतम दो वर्ष तक अंतरराज्यीय बिक्री पर एक फीसदी का आपदा कर लगाने की अनुमति दी है लेकिन कुछ अन्य विवादित मुद्दों को उसने दो मंत्री समूहों के पास स्थानांतरित कर दिया।

एमएसएमई को दी गई राहत स्वागतयोग्य है क्योंकि यह क्षेत्र नवंबर 2016 की नोटबंदी और जुलाई 2017 में जीएसटी के हड़बड़ी भरे क्रियान्वयन के दोहरे असर से जूझता रहा है। राहत की एक और बात यह है कि जीएसटी परिषद ने फिसलते राजस्व संग्रह की चिंताओं के बीच उचित संतुलन कायम किया है। निश्चित तौर पर 40 लाख रुपये की रियायत सीमा 75 लाख रुपये की मांग से करीब आधी है। इतना ही नहीं जीएसटी परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें से अधिकांश रियायतें 1 अप्रैल से यानी अगले वित्त वर्ष से लागू होंगी। इस प्रकार इस वर्ष राजस्व संग्रह में किसी भी प्रकार की कमी को टाल दिया गया है।

इस मोड़ पर आने के बाद जीएसटी परिषद को दरों के साथ छेड़छाड़ बंद कर देनी चाहिए और हालात को स्वयं संभलने का अवसर देना चाहिए। रियायत और अन्य राहतों के रूप में बार-बार हस्तक्षेप करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। बेहतर यही होगा कि पेट्रोलियम, बिजली शुल्क और अचल संपत्ति क्षेत्र को जीएसटी के दायरे में लाकर वास्तविक सुधार लागू करने चाहिए। इससे ढेर सारे करों का बोझ कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और कर दायरा भी बढ़ेगा। सीमेंट जैसी वस्तु को 28 फीसदी की दर वाले दायरे में रखना भी समझ से परे है।

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में धोखाधड़ी और कर वंचना के मामलों को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए सरकार के मुताबिक बीते एक वर्ष के दौरान अनुपालन में लगातार कमी आती प्रतीत हुई है। नवंबर 2018 में 29 फीसदी नियमित करदाताओं ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। निश्चित तौर पर चालू वित्त वर्ष के दौरान मासिक जीएसटी संग्रह बजट में उल्लिखित लक्ष्य से मासिक तौर पर करीब 15,000 करोड़ रुपये पीछे चल रहा है। जीएसटी परिषद को अब इन मुद्दों पर कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी यह प्रक्रिया सहजता से चल सकेगी और हम अधिक राजस्व जुटाने में सफल सिद्ध हो सकेंगे।

विनय सिन्हा

सहज बोध पर हावी हैं हड़बड़ी और सांठगांठ

एमएसएमई को राहत पैकेज मिला और अब आरबीआई के आरक्षित भंडार से भारी मात्रा में नकदी चुनाव पूर्व जारी की जाने वाली योजनाओं में लगाई जा सकती है। बता रहे हैं देवाशिष बसु

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखों के सामने जब हमारे नेता और बाबू पुरातनपंथी नीतियां लागू करते हैं तो कैसा लगता है ? हाल के दिनों में वित्तीय क्षेत्र में जो कुछ घटा है वह इसी बात की बानगी है। बीते दो महीनों के दौरान जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उन्होंने सरकार को यह मौका दिया है कि वह सरकारी बैंकों के मामले में यथास्थिति बरकरार रख सके। ये वही सरकारी बैंक हैं जिनके फंसे हुए कर्ज में आम करदाताओं का धन बड़ी मात्रा में डूब गया है। इतना ही नहीं इसकी बदौलत सांठगांठ वाले पूंजीपति अत्यधिक समृद्ध भी हो गए हैं।

इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी लेकिन वास्तविक कदम 2018 की तीसरी तिमाही में देखने को मिला जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)और सरकार के बीच दो मसलों पर विवाद गंभीर हो गया। पहला, सरकार आरबीआई के नकदी भंडार का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए चाह रही थी और दूसरा शीघ्र सुधारात्मक उपाय (पीसीए) के मानकों को शिथिल करने को कहा जा रहा था। ये मानक कुछ बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी बैंकों पर लगाए गए थे ताकि वे दोबारा ऋण देने लायक बन सकें। इस बीच कई सरकारी बैंक तो ऐसे थे जहां कोई मुखिया ही नहीं था।

सितंबर 2018 में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) डिफॉल्ट कर गई। इससे तमाम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को लेकर भरोसे का संकट उत्पन्न हो गया। इन कंपनियों ने मदद की गुजारिश के साथ वित्त मंत्रालय की शरण ली। अब सरकार की ओर से आरबीआई के पास तीसरी मांग आई- इन एनबीएफसी की मदद के लिए और अधिक नकदी उपलब्ध कराने की मांग। इसके अलावा अगस्त में जब स्वदेशी जागरण मंच के विचारक गुरुमूर्ति आरबीआई के बोर्ड में शामिल हुए तो उन्होंने नीतिगत एजेंडे को लेकर अपनी निजी मांगें रखनी शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, मझोले और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को उबारने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएं। उपरोक्त चारों विचार पूरी तरह पिछली सरकारों की तरह ही उपयोगिता और सांठगांठ से जुड़े हुए थे।

परंतु आंकड़े बताते हैं कि इनमें से किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए जाहिर तौर पर सरकार की राह भी आसान नहीं थी।

ये मांगें विशुद्ध रूप से राजनीतिक थीं और इनसे अर्थव्यवस्था को कोई खास लाभ नहीं होना था। बल्कि लंबी अवधि के दौरान इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ना था। ऐसे में 26 अक्टूबर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक भाषण के दौरान चेतावनी दे डाली कि जो सरकारें केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान नहीं करती हैं वे आज नहीं तो कल वित्तीय बाजारों का संकट पैदा करती हैं, आर्थिक मोर्चे पर आग भड़कने की वजह बनती हैं और आखिर में उन्हें पछताना पड़ता है कि उन्होंने एक अहम नियामक संस्थान की स्वायत्तता को सीमित किया। तीन दिन बाद आरबीआई के एक अन्य डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने कह दिया कि बैंकों का काम कठिन समय में कर्जदारों को उबारना नहीं है, उनकी प्राथमिक प्रतिबद्धता जमाकर्ताओं के प्रति होनी चाहिए। यह बात सीधे तौर पर सरकार की इस मांग पर चोट थी कि आरबीआई सरकारी बैंकों और एनबीएफसी के प्रति नरम बनी रहे।

नीति निर्माण से जुड़ा एक सामान्य सबक देते हुए विश्वनाथन ने कहा, 'बैंकों को कर्जदारों की कठिनाई के वक्त झटका सहने वाले जरिये के रूप में नहीं बरता जाना चाहिए क्योंकि उनके पास यह सुविधा नहीं होती कि वे अपने जमाकर्ताओं का भुगतान टाल दें।' पीसीए को शिथिल करने के मामले में उन्होंने कहा, 'ढांचागत सुधारों के स्थान पर नियामकीय शिथिलताओं को अपनाना, अर्थव्यवस्था के हित के लिए घातक हो सकता है।' परंतु देश की मजबूत 'राष्ट्रवादी सरकार' का इरादा अलग ही था। दबाव बनाए रखते हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने खुलकर आरबीआई की आलोचना की और वे केंद्रीय बैंक के खिलाफ अपनी शक्तियों का प्रयोग करने को भी तैयार दिखे।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नवंबर के मध्य में प्रधानमंत्री ने आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ऊर्जित पटेल से मुलाकात की और मामले को समझने का प्रयास किया। इसके बाद विधानसभा चुनाव नतीजों के एक दिन पहले पटेल ने त्यागपत्र दे दिया। एक दिन बाद ही शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया जो 'वित्त मंत्रालय के आदमी' हैं। इसके तत्काल बाद पीसीए के कड़े मानक निलंबित किए गए, एमएसएमई को राहत पैकेज दिया गया और चुनाव के पहले योजनाओं में इस्तेमाल के लिए आरबीआई के भंडार से बड़ी मात्रा में नकदी निकालने की योजना तैयार की गई। नेताओं के समर्थन से अधिकारियों ने इस तमाम कवायद को अंजाम दिया।

सरकार ने कुछ एनबीएफसी के कारण खड़े संकट को भी थामने का प्रयास किया। बीते कुछ वर्षों में एनबीएफसी बाजार चर्चा में रहा है क्योंकि वे अल्पावधि में अधिक ऋण देकर लंबे समय के लिए उसे उधारी दे रही थीं। इससे उनके कारोबार में जबरदस्त प्रगति नजर आ रही थी और खूब पैसा एकत्रित हो रहा था। इनमें से अधिकांश के पास मजबूत जोखिम प्रबंधन और विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो था। परंतु कुछ बड़ी एनबीएफसी ने बिना आधार वाली अचल संपत्ति कंपनियों को जमकर ऋण दिया। ये परिसंपत्तियां चुनिंदा मित्रवत निजी कंपनियों की बदौलत अच्छी नजर आ रही थीं।

आईएलऐंडएफएस संकट के विस्तार के साथ ही इस पर विराम लग गया और ये कंपनियां गहरे संकट में आ गईं। वे बचाव के लिए नकदी चाहती थीं लेकिन पटेल के नेतृत्व में आरबीआई इसके लिए तैयार नहीं था। आमतौर पर कारोबारियों के साथ कम ही दिखने वाले प्रधानमंत्री बुधवार 26 दिसंबर को कुछ घबराए एनबीएफसी कारोबारियों से मिले। यह इस बात का संकेत था कि आरबीआई को उनकी मदद करनी होगी। नए गवर्नर के अधीन आरबीआई इसके लिए तैयार हो गया।

बहुत संभव है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में किसी खास क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता पड़े लेकिन यहां मामला ऐसा नहीं था। अधिकांश एनबीएफसी को मदद की आवश्यकता नहीं थी। कुछ खराब एनबीएफसी ने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली थी क्योंकि वे किसी भी कीमत पर अपना विकास चाहती थीं। उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करने देने के बजाय सरकार ने हमेशा उन्हें उबारा।

आरबीआई गवर्नर और मीडिया का मोह

समसामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

फिल्म, खेल, राजनीति और सेक्स के बाद अब केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी मीडिया कवरेज में शामिल हो गए हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन मीडिया का एक हिस्सा गवर्नर के बारे में भी उतनी ही शिद्दत से कवरेज देगा।

एक वक्त था जब किसी को गवर्नरों के नाम तक नहीं पता होते थे और न ही किसी को इससे फर्क पड़ता था। मुझे 1973 में नौकरी के लिए दिए एक साक्षात्कार की याद है जिसमें आरबीआई गवर्नर के बारे में पूछे जाने पर मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैं तो तुलमोहन राम का नाम भी लेने जा रहा था जो उन दिनों एक बड़े घोटाले की वजह से सुर्खियों में थे।

केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की गुमनामी 1980 में उस समय दूर हुई जब पॉल वॉल्कर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बने और अमेरिका में मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए उन्होंने तरलता पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। बढ़ती बेरोजगारी और किसी को दोषी ठहराने की सियासी जरूरत के चलते अमेरिकी मीडिया ने वॉल्कर को बो डेरेक के स्तर तक पहुंचा दिया। डेरेक अपनी फिल्मों में अक्सर कम कपड़ों में नजर आती थीं।

हालांकि देर से होड़ में शामिल होने का सिलसिला भारत में जारी रहा। इस तरह भारत में 1980 के दशक में भी कमोबेश पुराना दौर ही जारी रहा। हालत यह थी कि आरबीआई के बारे में खबरें देते समय भी गवर्नर के नाम को तवज्जो नहीं दी जाती थी। वर्ष 1977 से 1990 के बीच आरबीआई के चार गवर्नर हुए लेकिन समाचारपत्रों में उनका नाम साल भर में मुश्किल से 10 बार ही आता था। जब एक गवर्नर ने अपना पद छोड़ने की धमकी दी थी तब भी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी। एक अन्य गवर्नर ने तो वास्तव में पद छोड़ भी दिया था। उस समय खबरों में आरबीआई होता था, गवर्नर नहीं। हालांकि खुद आरबीआई का नाम भी अप्रैल और अक्टूबर में क्रेडिट नीति की घोषणा के समय ही चर्चा में आता था।

हालांकि 1990 के दशक में यह तस्वीर बदलने लगी लेकिन उसकी रफ्तार सुस्त थी। एस वेंकटरमणन और सी रंगराजन पुरानी सोच के गवर्नर थे और प्रचार से दूर रहते हुए काम करना पसंद करते थे। यहां तक कि प्रेस के साथ तालमेल रखने वाले विमल जालान भी सिर झुकाकर काम करने में यकीन करते थे और अपने डिप्टी गवर्नरों को बात करने का मौका देते थे। उस समय तक मीडिया की शक्ल नहीं ले पाया प्रेस भी गवर्नर के प्रति नाममात्र की रुचि ही रखता था।

लेकिन वर्ष 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत को अपना दोस्त बनाने का फैसला किया और अमेरिकी नीति में अचानक बड़ा बदलाव आ गया। वर्ष 1998 में यही अमेरिका परमाणु परीक्षण करने पर भारत पर प्रतिबंध लगा चुका था लेकिन अमेरिकी नीति में आए बदलाव ने भारत में अचानक ही अमेरिकी डॉलरों का प्रवाह तेज कर दिया। पश्चिमी प्रेस ने भी लंदन और वॉल स्ट्रीट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई गवर्नर को तवज्जो देनी शुरू कर दी। इसका अनुसरण करने में भारतीय मीडिया भी पीछे नहीं रहा। भारतीय मीडिया ऐसा सिरदर्द बन गया कि एक गवर्नर ने मुझसे यह पूछ लिया था कि 'बाइट' (टेलीविजन की शब्दावली में बयान) के लिए इंतजार कर रहे टीवी पत्रकारों के झुंड से कैसे बचा जाए? मैंने उन्हें सलाह दी थी कि किसी ऐसी जगह पर न जाएं जहां पिछला दरवाजा न हो।

फिर ऐसा वक्त आया जब गवर्नर को ही सारी कवरेज मिलती देख वित्त मंत्री को जलन महसूस होने लगी और उन्होंने भी बाइट देनी शुरू कर दी। ऐसे में एक वित्त सचिव को अपने मंत्री से यह कहना पड़ा कि बिना सोचे-समझे अचानक कोई बयान न दिया करें। सितंबर 2008 के बाद गवर्नर को मीडिया में और ज्यादा कवरेज मिलने लगी और इसने आरबीआई के मीडिया प्रबंधन में एक अलग मुकाम आ गया। आरबीआई गवर्नर ने सीधे दर्शकों से मुखातिब होना शुरू कर दिया।

फिर वर्ष 2013 में रघुराम राजन गवर्नर बने जो देखने में अपने दो पूर्ववर्तियों से एकदम अलग थे। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, स्पष्ट वक्ता, आईआईटी-आईआईएम-एमआईटी से शिक्षित और वित्त के प्रोफेसर राजन के रूप में भारत को भी अपना बो डेरेक मिल चुका था। मीडिया उनके पीछे पागल हो गया और राजन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनकी सारी विद्वता और सीख भी संदर्भ से हटकर की जाने वाली रिपोर्टिंग को निष्प्रभावी नहीं कर पाई।

राजन के बाद ऊर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर बने जो मिजाज में 'ट्रैपिस्ट' भिक्षुओं को भी शर्मसार कर सकते हैं। लेकिन अपने विवेक से काम करने का फैसला उनके किसी काम का नहीं साबित हुआ। गवर्नर के मुख्य काम मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए अगर राजन को 'टोस्ट' किया गया था तो पटेल को 'रोस्ट' कर दिया गया।

शक्तिकांत दास को एक घुमावदार पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है। उन्हें न केवल मीडिया के साथ तारतम्य बिठाना होगा बल्कि एक नए गठजोड़ से भी निपटना होगा जो किसी बजट फंड के बगैर हकदारी का विस्तार कर रहा है। हालांकि दास मीडिया के लिए नए नहीं हैं। वह बीते दशक में कभी अकेले तो कभी समूह में मीडिया से रूबरू होते रहे हैं। खासकर नोटबंदी के दौरान हालात को काबू में रखने की कोशिश के दौरान उनका मीडिया से बखूबी सामना हो चुका है। दास को अब यह तय करना है कि उन्हें आरबीआई गवर्नर के तौर पर अगले तीन साल मीडिया से किस तरह निपटना है? मैं अपनी तरफ से उन्हें दो सुझाव दे सकता हूं। पहला, अपने रुतबे और प्रोटोकॉल को बहुत गंभीरता न दें। रिजर्व बैंक कवर करने वाले पत्रकारों से आप निजी लंच के बहाने मिलें। मेरे खयाल से विमल जालान भी ऐसा करते थे। जहां तक संपादकों का सवाल है तो वे अधिक अहम नहीं हैं, उनसे समूह में मिला जा सकता है।

दास के लिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आरबीआई कवर करने वाले संवाददाताओं से वाई वी रेड्डी की बात का जिक्र कीजिए: 'मैं जो करता हूं उसे देखो, मेरे कहे शब्दों पर न ध्यान दो।'

कानाफूसी

जाहिर हुआ बिखराव

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ नेता यह देखकर निराश हैं कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद जब पार्टी विपक्ष में आई है तो उसका तालमेल कुछ गड़बड़ा सा गया है। ये नेता हाल ही में संपन्न विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। यह सत्ताधारी कांग्रेस के लिए पहली कड़ी परीक्षा की घड़ी साबित हो सकती थी लेकिन भाजपा इस अवसर का लाभ उठाने में नाकाम रही। कांग्रेस के विधायक एन पी प्रजापति को प्रदेश की 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया जबकि भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष ने विपक्षी दल को अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं करने दिया। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने निराशा में कहा कि राज्य इकाई का यूं

बड़ा बदलाव

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पार्टी में कामकाज को लेकर जुनून के कारण अलग से पहचाना जाता है। उनके पास अन्य कामों के लिए वक्त ही नहीं रहता। ऐसे में पिछले दिनों जब वह अपने पार्टी सहयोगियों के साथ दिल्ली के एक रेस्तरां में रात्रिभोज के लिए पहुंचे तो सबका चकित रह जाना स्वाभाविक था। लोगों को इस बारे में तब पता चला जब बुधवार को राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि संसदीय कार्यमंत्री विजय गोयल भाजपा के राज्यसभा सदस्यों को चांदनी चौक स्थित आईटीडीसी के राजस्थान शैली के हवेली रेस्तरां में रात्रिभोज के लिए ले गए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। पार्टी के एक सदस्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों के बाद कितना कुछ बदल गया है।

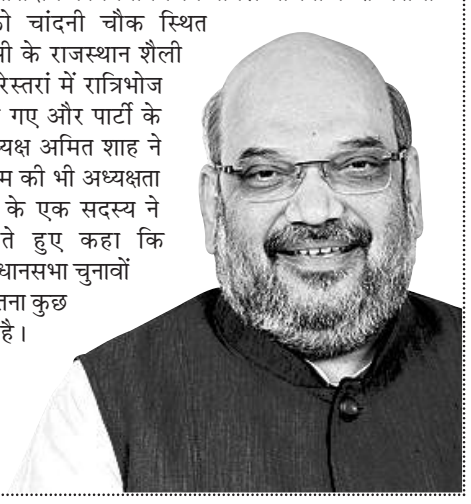

आपका पक्ष

किराये की कोख का दुरुपयोग

सरोगेसी (किराये की कोख) नियमन विधेयक-2016 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक स्तर पर लगाम लगाना है। सरोगेसी प्रजनन विज्ञान की वह पद्धति है जिससे उन दंपतियों का संतान सुख पाना संभव है जो किसी न किसी कारण से संतान सुख से वंचित हैं। यह प्रक्रिया आईवीएफ तकनीक पर आधरित है। इसमें दंपती तथा एक अन्य महिला (सरोगेट मदर) की आवश्यकता होती है। सवाल यह है कि सरोगेसी पर लगाम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। कई देश जैसे रूस, जापान, जर्मनी, यूक्रेन फ्रांस आदि देशों में सरोगेसी प्रतिबंधित हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 80 प्रतिशत सरोगेट मदर विदेशियों के लिए बच्चे को जन्म देती हैं। विदेशी दंपती जो संतान से वंचित हैं, भारत को सरोगेसी के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में मानते हैं, क्योंकि यहां सरोगेसी सस्ता व कोई इसके लिए खास कानूनी

प्रवधान नहीं है। हालिया कुछ घटनाओं में सरोगेट मदर का शोषण व जन्म लेने वाले बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी अनैतिक गतिविधियां उभर कर आई है। एक घटना गुजरात की थी जिसमें सरोगेट मदर ने जब बच्चे का जन्म दिया तो विदेशी दंपती अलग हो चुके थे। ऐसी घटनाओं के कारण एक बेहतर कानून की जरूरत थी जिसमें सख्त

केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम को सख्त किया है जिससे इसका दुरुपयोग न हो

प्रावधान निहित हो। अत: राजनीतिक दलों के सहयोग से सरोगेसी नियमन विधेयक-2016 को लोकसभा से मंजूरी दी गई। विधेयक के प्रावधान के अनुसार व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो भारतीय नहीं हैं वह सरोगेसी के लिए पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। ऐसे दंपती, जो भारतीय हैं, जिनकी शादी के पांच वर्ष हो गए हैं व संतान सुख से वंचित हैं, वे ही आवेदन कर सकते हैं। कोई भी महिला अपने जीवन में केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती हैं। सरोगेट मदर का दंपती का संबंधी होनी जरूरी है। सरोगेट मदर बनने की इच्छुक महिला विवाहित होना जरूरी है। पंजीकृत सरोगेसी क्लीनिक को कम से कम 25 वर्ष तक का रिकॉर्ड रखने का भी प्रावधान है। इस प्रकार कुछ खास प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। अगर हम सकारात्मक पक्षों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सरोगेसी वर्तमान की जरूरत है। जीवनशैली में बदलाव के कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है।

योगेश मिश्रा, जयपुर

जल संरक्षण के लिए उठे कदम

इस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख 'हर बूंद कीमती' पढ़ा जिसमें जल संरक्षण को लेकर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यू) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश आगामी 1 जून से लागू हो जाएंगे। इससे जल संसाधन की फिजूलखर्ची को रोक पाने में काफी मदद मिलेगी। भारत कृषि प्रधान देश है तथा खेतों की सिंचाई में भूजल का 90 प्रतिशत हिस्सा लगता है। भूजल का केवल 5 फीसदी हिस्सा ही घरेलू क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और 5 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। वर्षों से हम भूजल का दोहन कर रहे हैं लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कम ही सोचते हैं। भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है ऐसे में सीजीडब्ल्यू के नए दिशानिर्देश से इस पर काबू पाया जा सकेगा।

किशोर कुमार, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।